

## फर्द अहकाम

सर्स एवरग्रीन बिल्ड स्टेट्स प्रा० लि० बनाम राजस्थान सरकार

संख्या: 4 / 2023

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 वावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।</p>	
<p>बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि की सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।</p>	
<p>बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि उपतहसीलदार बगरू की सीमाज्ञान रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 30.05.2021 के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बरान् की सभी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कायम की जावे।</p>	
<p>निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	
<p>(हिम्मत सिंह ) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (साँगानेर), जयपुर</p>	

